RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 28 / 2025 **GCMS NO. 2025/166**

अपीलांट –
1. श्री राणसिंह पुत्र हरिसिंह
2. श्री स्वरूपसिंह पुत्र हरिसिंह
3. श्री अमरसिंह पुत्र हरिसिंह
4. श्रीमती देशकवंर पत्नी हरिसिंह
5. श्रीमती गुलाबकवंर पत्नी देवीसिंह
6. रूपसिंह पुत्र देवीसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान गांव देवलीयाली, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1 श्री नैनसिंह पुत्र श्री भैरसिंह जाति राजपुत निवासी देवलयाली, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।
2 श्री तहसीलदार, सिवाना(वर्तमान समदड़ी)।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 17 दिनांक 01.03.2005 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री भुपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.03.2026

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार सिवाना (वर्तमान समदड़ी) के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 17 दिनांक 01.03.2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.09.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा देवलयाली, पटवार हल्का सिलोर, भू–अभि. निरीक्षक समदड़ी, तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 184.08 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 8.02 बीघा, खसरा संख्या 123 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 126 रकबा 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 127 रकबा 30.07 बीघा भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 कैम्प के दौरान दिनांक 11.03.2005 को तहसीलदार सिवाना (वर्तमान समदड़ी) के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम

जिला कलक्टर
बालोतरा

सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक है एवं विरासत से प्राप्त हुई हैं। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 17 दिनांक 11.03.2005 को पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 01 के योग्य अधिवक्ता द्वारा जवाब में कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट की पैतृक भुमि मौजा देवलयाली, पटवार हल्का सिलोर, भू–अभि. निरीक्षक समदड़ी, तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 184.08 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 8.02 बीघा, खसरा संख्या 123 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 126 रकबा 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 127 रकबा 30.07 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने मिलकर वादग्रस्त भूमि खसरान संख्या प्रशासन आपके द्वार अधिनियम 2004 में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि का सह खातेदारों के बीच आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.03.2005 को लिखवाकर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर तहसीलदार सिवाना के रूबरू उक्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देकर उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। उक्त अपील 20 साल बाद लंबे अंतराल के बाद उक्त आपसी सहमति बंटवाड़ा के विरूद्ध वर्तमान अपील पेश की है, जो म्यादा बाहर है। उक्त भूमि का बेचान चंपालाल पुत्र मीठाराम जाति प्रजापत निवासी समदड़ी को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.11.2020 को किया गया, जिसमें गवाह स्वयं अपीलांट संख्या 1 राणसिंह पुत्र हरीसिंह है। इससे साफ जाहिर होता है कि उक्त बंटवाड़े को स्वीकार किया, जिसके आधार पर बाद बंटवाड़ा बट्टा नंबर 233/123 की भूमि का बेचान चंपालाल को किया गया। उसके बावजूद भी बिना चंपालाल को बिना पक्षकार बनाए म्याद बाहर अपील पेश की है। अपीलांटगण ने आवागमन हेतु संयुक्त रूप से भूमि रास्ते में दर्ज नहीं होने का हवाला दिया है जो गलत है। इस संबंध में निवेदन है कि अपीलकर्ता की भूमि भी रास्ते की भूमि पर भी अवस्थित है, जिसके आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है, जो अपीलांटगण ने विभाजन प्रस्ताव में स्वयं ने स्वीकार कर आपसी सहमति दी है। उसके उपरांत भी विभाजन प्रस्ताव पर स्वयं अपीलांटगण व रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान है तथा जिन्होंने सहमति स्वरूप स्वयं तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन की सहमति दी हैं। लिहाजा विभाजन के तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा मौके पर पक्षकारान का कब्जा–काश्त अनुसार अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 01.03.2005 को पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट की पैतृक भुमि मौजा देवलयाली, पटवार हल्का सिलोर, भू-अभि. निरीक्षक समदड़ी, तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 184.08 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 8.02 बीघा, खसरा संख्या 123 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 126 रकबा 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 127 रकबा 30.07 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी की है एवं विरासत में प्राप्त हुई है। उपरोक्त भूमि में अपीलांट संख्या 01 ता 04 का 1/3 हिस्सा, अपीलांट संख्या 05 ता 06 का 1/3 हिस्सा, व शेष 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 का सहखातेदारी का रहा। वादग्रस्त आराजी के पश्चिम में चल रहे कटाण मार्ग से जुडते हुये रास्ते की भूमि तक अपने अपने हिस्से की भूमि में पर रहने हेतु कच्चे पक्के मकान एंव पशुओ के ओरे बनाकर काश्त करते थे, जो सभी खातेदार के हक हिस्से की भूमि में काश्त करने के लिये सरल एंव सुलभ था। सभी खातेदारान अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर मुख्य कटाण मार्ग से आवागमन करते हुये अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त कर रहवास करते थे। अपीलांटगण व उनके हकपुर्वाधिकारी अनपढ़ व काश्त पेशा व्यक्ति है, तथा रेस्पोडेंट नैनसिंह जो बहुत चालाक एंव होशियार प्रवृति के व्यक्ति हैं। रेस्पोडेंट नैनसिंह ने अपीलांटगण को आपसी सहमति से अपना उक्त हिस्से का विभाजन करने हेतु प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (2) के तहत प्रस्तुत किया, तब अपीलांट संख्या 01 ता 04 ने व अपीलांट संख्या 05 व 06 के देवीसिंह जो अनपढ व भोले स्वभाव के थे, ने रेस्पोडेन्ट सं. 01 के कहे अनुसार कुछ खाली पैपरो पर हस्ताक्षर/ अगुष्ठ निशान कर दिये। संलग्न नक्शे में भी किसी प्रकार का रंग भरा हुआ नहीं था, तब अपीलांट सं. 01 ता 04 ने व अपीलकर्ता सं. 05 व 06 के पिता देवीसिंह ने रेस्पोड़न्ट सं. 01 को नक्शे में रंग न भरे होने का कारण पुछा तो रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने बताया हल्का पटवारी मौके पर आकर मौके की वस्तुस्थिति अनुसार पक्षकारो की उपस्थिति में रंग भरेगें। उसके उपरांत भी बिना अपीलांट को सुनवाई सबुत का अवसर दिये मनमर्जी से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत राजस्व रेकर्ड में रंग भरकर वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा कर दिया। खसरा संख्या 233/123 व 234/123 में अपीलांटगण का कब्जा काश्त व पक्के रहवासीय मकानात् बने हुए है, वो भूमि मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत रेस्पोड़ेन्ट सं. 01 के खाते में दर्शा दी एवं जहां पर रेस्पोड़ेन्ट 01 का कब्जा है, वो भूमि मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत अपीलांटगण के खाते में दर्शा दी। इस प्रकार रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति में भारी भिन्नता उत्पन्न हो गई है। मौके पर खातेदारान व पक्षकारान के पक्के रहवासीय मकानात् व पशुओं के बाड़े, पानी के टांके इत्यादी बने हुए है। विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति का दस्तावेज तैयार करने एंव सभी खातेदार के हक हिस्से की काश्त की भूमि तक पंहुचने हेतु संयुक्त रूप से आवागमन हेतु भूमि दर्ज नहीं किया गया। आलौच्य बंटवाड़ा आदेश पुर्णतया मौके एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति के विपरीत है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेण्टगण को उक्त तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेंट नैनसिंह ने भी अपनी गलती स्वीकारते हुये उक्त विवादित खसरा में दुरूस्ती करने का आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी रेस्पोडेण्टान ने उक्त दुरूस्ती नहीं करवायी, तब रेकर्ड में दर्ज अशुद्ध तरमीम को दुरस्त करने हेतु श्री भु-अभिलेख अधिकारी (एसड़ीओ) के समक्ष तरमीम दुरस्ती का प्रकरण अन्तर्ग धारा 136, 131 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया, जिस

जिला कलक्टर
बालोतरा

पर अपीलांटगण को आलौच्य बंटवाड़ा आदेश की जानकारी हुई। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ तहसीलदार सिवाना तहसील सिवाना द्वारा पारित विभाजन आदेश कमाक 17 दिनांक 01.03.2005 बाबत् भूमि सरहद मौजा सरहद मौजा देवलीयाली, पटवार हल्का सिलोर, भू अभिलेख नि. क्षेत्र समदड़ी, तहसील सिवाना की सीमा में भूमि खेत खसरा सं. 123 (वर्तमान खसरा सं. 233 / 123, 234 / 123, 235 / 123) को निरस्त अपास्त किया जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 01 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट की पैतृक भुमि मौजा देवलयाली, पटवार हल्का सिलोर, भू-अभि. निरीक्षक समदड़ी, तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 184.08 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 8.02 बीघा, खसरा संख्या 123 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 126 रकबा 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 127 रकबा 30.07 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने मिलकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 62, 110, 123, 126, 127 का सहमति से बंटवाड़ा का विलेख लिखवाया तथा प्रशासन आपके द्वार अधिनियम 2004 में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि का सह खातेदारों के बीच आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.03.2005 को लिखवाकर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर तहसीलदार सिवाना के रूबरू उक्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देकर उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। उक्त अपील 20 साल बाद लंबे अंतराल के बाद उक्त आपसी सहमति बंटवाड़ा के विरूद्ध वर्तमान अपील पेश की है, जो म्यादा बाहर है। उक्त विभाजन के बाद तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामांतरण करण पारित किया गया। तत्पश्चात् उक्त नामांतरण के बाद वादग्रस्त भूमि का विभाजन का जमाबंदी व राजस्व नक्शा ट्रेस में इंद्राज किया गया। उसके बाद खसरा संख्या 233 / 123 सरहद देवलियारी जो विभाजन के बाद रेस्पोडेंट के हक में जमीन आई। उक्त भूमि का बेचान चंपालाल पुत्र मीठाराम जाति प्रजापत निवासी समदड़ी को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.11.2020 को किया गया, जिसमें गवाह स्वयं अपीलांट संख्या 1 राणसिंह पुत्र हरीसिंह है। इससे साफ जाहिर होता है कि उक्त बंटवाड़े को स्वीकार किया, जिसके आधार पर बाद बंटवाड़ा बट्टा नंबर 233 / 123 की भूमि का बेचान चंपालाल को किया गया। उसके बावजूद भी बिना चंपालाल को बिना पक्षकार बनाए म्याद बाहर अपील पेश की है। अपीलांट स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसके विपरीत रेस्पोडेंटगण संख्या 1 नैनसिंह अनपढ़ व्यक्ति है तथा अपीलांट ने स्वयं ही उक्त विभाजन प्रस्ताव लिखवाया तथा नैनसिंह के अंगुष्ठ निशान करवाए। अब जमीनों के भाव बढ़ने से व रेस्पोडेंट की भूमि बाद बंटवाड़ा गांव की आबादी भूमि के नजदीक आ जाने के कारण लालच आ गया, जिस कारण उक्त अपील पेश की है। विभाजन के अनुसार ही मौके पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है, परंतु रेस्पोडेंट की भूमि आबादी भूमि के नजदीक आ जाने के कारण भूमि की कीमतों में उछाल आ गया, उसी कारण उक्त वादग्रस्त भूमि की अपील की गई है। नैनसिंह जो कि अनपढ़ व जहिप उम्र का भोले स्वभाव का है, इसके विपरीत अपीलांटगण व उसके हक पूर्वाधिकारी पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति थे, जिन्होंने रेस्पोडेंट को तैयार कर अच्छी भूमि अपीलकर्ताओं ने अपने हक में रखकर विभाजन का विलेख तैयार करवाया व प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त विभाजन स्वीकृत करवाया, जिस पर

जिला कलक्टर
बालोतरा

नैनसिंह के अंगुष्ठ निशान है तथा अपीलांटगण के हस्ताक्षर है। तहसीलदार ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभाजन को ही स्वीकार कर सहमति से बंटवाड़ा स्वीकृत किया है, जो आज से 20 वर्ष पहले किया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यता नहीं है। अपीलांटगण ने आवागमन हेतु संयुक्त रूप से भूमि रास्ते में दर्ज नहीं होने का हवाला दिया है जो गलत है। इस संबंध में निवेदन है कि अपीलकर्ता की भी भूमि भी रास्ते की भूमि पर भी अवस्थित है, जिसके आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है, जो अपीलांटगण ने विभाजन प्रस्ताव में स्वयं ने स्वीकार कर आपसी सहमति दी है। वादग्रस्त भूमि में किया गया सहमति से बंटवाड़ा विधि के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है, यदि ऐसा नहीं होता तो अपीलांटगण बंटवाड़े के बाद अपनी ही भूमि से बेचान रजिस्ट्री नहीं करवाते। बाद बंटवाड़ा उक्त भूमि का बेचान चंपालाल को जरिये रजिस्ट्री कर दिया था, अर्थात् अपीलकर्ता को सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी कि उक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलकर्ता के अनुसार ही करवाया जा चुका है, जिसमें से अपीलकर्ता ने ही जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया है। दिनांक 05.08.2025 को प्रथम बार जानकारी होने के पश्चात् पूर्णतया गलत है क्योंकि इसी वादग्रस्त भूमि का सहमति से किया गया बंटवाड़ा के बाद खसरा नंबर 233/123 पड़े, जिसमें से दिनांक 23.11.2020 को भूमि का बेचान किसी अन्यत्र चंपालाल पुत्र मीठाराम जाति प्रजापत को किया गया, जिसमें स्वयं राणसिंह ने अपने हस्ताक्षर किए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं थी। उसके उपरांत भी विभाजन प्रस्ताव पर स्वयं अपीलांटगण व रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान है तथा जिन्होंने सहमति स्वरूप स्वयं तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन की सहमति दी हैं। लिहाजा विभाजन के तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा मौके पर पक्षकारान का कब्जा–काश्त अनुसार अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 01.03.2005 को पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का आदेश फरमावे।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा देवलीयाली, पटवार हल्का सिलोर, भू–अभि. निरीक्षक समदड़ी, तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 184.08 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 8.02 बीघा, खसरा संख्या 123 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 126 रकबा 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 127 रकबा 30.07 बीघा भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 कैम्प के दौरान दिनांक 01.03.2005 को तहसीलदार सिवाना (वर्तमान समदड़ी) के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक है एवं विरासत से प्राप्त हुई हैं। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 17 दिनांक

जिला कलक्टर
बालोतरा

01.03.2005 को पारित किया गया। अपीलांट की मुख्य आपत्ति है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा आलोच्य विभाजन पूर्व में कब्जा काश्त के अनुसार नहीं किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना के समक्ष अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दौराने प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 कैम्प दिनांक 01.03.2005 को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर के ताइद व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो की जांच के उपरांत उक्त आलोच्य बंटवारा आदेश पारित होना पाया गया। पक्षकारान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर एंव अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर होना पाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की विधिक पालना करते हुए आलोच्य विभाजन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता हैं। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें मालसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवलीयाली, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा द्वारा खसरा संख्या 233 / 123 की भूमि श्री चम्पालाल पुत्र श्री मीठाराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम समदड़ी तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.11.2020 को बैचान किया गया है, जिसका पंजीबद्ध उप पंजियक समदड़ी में पुस्तक सुख्या 1 जिल्द संख्या 52 मे पृष्ठ संख्या 113 कम संख्या 202003132100772 पर पंजीबद्ध किया गया, होना बताया गया। उक्त रजिस्ट्री को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, इस प्रकार को कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री द्वारा किया गया बैचान एवं इसके उपरांत स्वीकृत म्युटेशन वैध होना प्रतीत होता है। साथ ही अपीलांटगण ने कथन किया कि उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर दिनांक 05.08.2025 को होना प्रकट किया हैं। इस संबंध में पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना के समक्ष धारा 53(2) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है। अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं एवं आलोच्य विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, होना बताया गया। इसके अलावा खसरा संख्या 233 / 123 की भूमि बैचान की गई, जिसमें रजिस्ट्री के दौरान स्वयं अपीलांट राणसिंह ने गवाह दी गई, होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पुर्व मे थी। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व नक्शा में तरमीम की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपील म्याद बाहर पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं, जबकि अपीलाधीन आदेश उसकी स्वंय की

जिला कलक्टर
बालोतरा

उपस्थिति में पारित किया गया हैं। प्रकरण में मयाद एवं मेरिट की परिस्थितियों को देखते हुए मौके की स्थिति का तथ्य सारवान नहीं होने से प्रकरण को मयाद व मेरिट पर निर्णीत किया जाना समीचीन प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। जहां तक अपीलांटगण का कथन हैं कि मौके पर विभाजन अनुसार कब्जा–काश्त नहीं हैं तथा पशुओ का बाड़ा वगैरा एक दूसरे के पक्षकार में आ रहा हैं, तो इस सम्बन्ध में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि तत्समय पटवारी द्वारा सम्पूर्ण रूप से मौका की जांच कर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया हैं कि *"प्रस्तावित बंटवाड़ा भूमि रहन मुक्त है। किसी भी न्यायालय को कोई स्थगन ओदश नहीं है तथा ना ही कोई वाद विचाराधीन है। किसी अन्य खातेदार का नाम हटाया अथवा जोडा गया नहीं है। सभी सहखातेदार बडवाडा अनुसार सहमति जाहिर की है। सभी सहखातेदारों, द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि पर संलग्न राजस्व नक्शा में दर्शाये गये हिस्से को सही होना स्वीकार किया है। प्रस्तावित बटवाडा भूमि पर सभी सहखातेदारों का आवागमन हेतु रास्ता मौके पर उपलब्ध है।" होना बताया गया।* इसके अलावा विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना के समक्ष धारा 53(2) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं एवं आलोच्य विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जबकि एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना (वर्तमान तहसीलदार समदड़ी) द्वारा पारित विभाजन आदेश आदेश आदेश क्रमांक 17 दिनांक 01.03.2005 को बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा